वित्तीय स्वीकृति / आयोजनागत / जिला योजना
संख्या : 963 /XVII(1)-01/2007-73(स.क.)/2002

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 16 सितम्बर 2007.

विषय : **चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित कक्षा-1 से 10 तक की पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अस्वच्छ पेशारत व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान योजनान्तर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई 2007 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित कक्षा-1 से 10 तक की पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अस्वच्छ पेशारत व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं तदर्थ अनुदान योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु संलग्नक-01 के अनुसार रूपये 9,44,000/- (रूपये नौ लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त धनराशि को आहरित कर मांग के अनुरूप परिचिगत अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की स्थिति से यथासमय शासन एवं निदेशालय को अवगत कराया जाए।
2. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
4. बी.एम.-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की 'अनुदान संख्या-30' के 'आयोजनागत पक्ष' के अन्तर्गत संलग्नक-01 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-310(P)/XXVII(3)/2007, दिनांक अगस्त 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विनीला कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 963 (1)/XVIII(1)-01/2007-73(स.क.)/2002, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

31 August 2007

शासनादेश संख्या–963 / XVII(1)-01 / 2007–73(स.क.) / 2007, दिनांक 6 सितम्बर 2007 का संलग्नक–

1. अनुदान संख्या–30 आयोजनागत जिला योजना

लेखाशीर्षक : 2225–01–277–01–03
मुख्य शीर्षक : 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण
लघु शीर्षक : 277–शिक्षा
उप शीर्षक : 01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं
ब्यौरेवार शीर्षक : 03–मैला उठान, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा–1 से 10 तक) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत भारत सरकार सहायता) (जिला योजना)
मानक मद 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

(धनराशि हजार रूपये में)

जनपद का नाम	धनराशि
नैनीताल	60
पिथौरागढ़	150
चम्पावत	50
देहरादून	66
पौड़ी	80
चमोली	12
रूद्रप्रयाग	26
हरिद्वार	500
योग	944

(रूपये नौ लाख चवालीस हजार मात्र)

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

31-08-2007